सं.-9/क्रय 2-37/97-770(9)/2006

बिहार सरकार

स्वास्थ्य एवं प.क. विभाग

संकल्प

प्रेषक,

दीपक कुमार
सरकार के सचिव।

सेवा में,

सभी असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी

पटना, दिनांक 8 जुलाई, 06

विषय- अस्पतालों में नि:शुल्क दवा वितरण में दवाओं का दुरुपयोग रोकने हेतु आवश्यक निर्देश।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय संकल्प संख्या 424(प.क.) दिनांक 17.05.2006 द्वारा राज्य के विभिन्न अस्पतालों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में नागरिकों को आवश्यक दवाएँ नि:शुल्क कराने का निर्णय लिया गया है तथा 01 जुलाई 2006 से नि:शुल्क दवा वितरण का शुभारंभ भी कर दिया गया है।

(2) नि:शुल्क दवावितरण होने के कारण प्राप्त सूचनानुसार मरीजों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। कहीं-कीहं तो चार-पाँच गुणा तक मरीजों की संख्या में वृद्धि हुई है। इन कारणों से दवाओं के दुरुपयोग की संभावना बढ़ जाती है इसलिये इसके संभावित दुरुपयोग को रोकने के लिये निम्नांकित निदेश दिये जाते हैं:-

(1) वितरित की जाने वाली सभी दवाओं पर 'बिहार सरकार आपूर्ति बिक्री के लिये नहीं' का लेबल लगाया जायेगा, जो दवाएँ राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा rate contract के अंतर्गत "Bihar Government Supply-Not for sale" अंकित रहेगा। परंतु जो दवाएँ आप उस rate contract से बाहर ले रहे हैं, उन पर इस तरह का लेबल लगाना आवश्यक होगा। इसलिए दवाओं के आपूर्तिकर्ताओं को इस तरह का लेबल लगाकर ही आपूर्ति करने का निर्देश दे दें। इस तरह की प्रक्रिया प्रारंभ करने में सयम को देखते हुए यह निदेश दिया जाता है कि 20 जुलाई 2006 के बाद बिना ऐसे लेबल की दवाएँ व्यवहार नहीं की जाए। तत्काल ऐसे printed lable कुछ संख्या में राज्य समिति द्वारा आपको अलग से भेजी जा रही है। परंतु इन्हें आवश्यकतानुसार आपको स्वयं छपवाना पड़ सकता है।

(2) जब भी कोई शीशी/बोलत में रखी दवा दी जायेगी तो रोगी को देने के पूर्व उसका सील खोल दिया जाय।

(3) जिला में आपूर्तिकर्ता द्वारा आपूर्ति करने के बाद उसकी प्रविष्टि भंडार पंजी में की जाय और उसका सत्यापन जिला पदाधिकारी द्वारा नामित दंडाधिकारियों के द्वारा कराया जा। विभिन्न अस्पतालों/केन्द्रों पर जिला से दवाओं की आपूर्ति पहुंचने पर उनका पुनः सत्यापन जिला पदाधिकारी द्वारा नामित पदाधिकारी से कराया जाए। इन सत्यापनों के बाद ही आपूर्ति की गयी stock का व्यवहार प्रारां किया जायगा।

(4) रोगी कल्याण समिति को प्रभावकारी किया जाय और उनके सदस्यों को दवा की वितरण व्यवस्था की निगरानी हेतु अनुरोध किया जाय।

उपरोक्त निर्देश का अक्षरक्षः पालन सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन

ह./-

(दीपक कुमार)

ज्ञापांक- 770(9) **पटना, दिनांक 8 जुलाई, 2006**

प्रतिलिपि- सभी जिलाधिकारी/सभी क्षेत्रीय उप निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- सभी प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./-

(दीपक कुमार)

सरकार के उप सचिव